

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- प.(ई) (पी-2023)/अलेसे-III/ 9040

दिनांक:- 31/11/25

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिक को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्न परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	रोल नं.	नाम	शैक्षणिक पाठ्यक्रम/ परीक्षा का नाम	आयोजक संस्था	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	717633	श्री प्रमोद कुमार, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी)	BLIS (Bachelor Of Library And Information Science) सत्र-2025-26 (स्वयंपाठी)	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा लूनकरणसर

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.11.2006 में वर्णित निम्न शर्तों के अध्वधीन होगी :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो उक्त स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 आपका पदस्थापन मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
- 3 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 4 उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 5 अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और उस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 6 अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।


(अमिता शर्मा)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- प.(ई) (पी-2023)/अलेसे-III/ 9040

दिनांक:- 31/11/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा लूनकरणसर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री प्रमोद कुमार, कनि. लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा लूनकरणसर।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)